

Name of Plants	Target for 1998-98	
	N	P
CFCL: Gadepan	448.0	0.0
TCL: Babrala	444.5	0.0
OCF: Shahjahanpur	437.0	0.0
By-Product	3.4	0.0
SSP: Units	0.0	521.0
TOTAL	4743.1	1897.3
(PRIVATE SECTOR):		
TOTAL (PUBLIC + COOPERATIVE + PRIVATE):	10682.5	3026.6

उर्वरक क्षेत्र में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रस्ताव

1398. श्री चीपनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	निर्माण की मद	धनराशि लाख रु० में	प्रतिशतता साम्य
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०	हायफा केमिकल्स लि०, इजरायल	फर्टिलाइजर्स	120	40
डकंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	तेमासेक होल्डिंग पाई लि०, सिंगापुर	नाइट्रोजन एण्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर	3204	54

(घ) और (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं में विदेशी साम्य सहभागिता की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मैलामाइन क्रॉकरी इकाइयों द्वारा राज-सहायता प्राप्त यूरिया का प्रयोग

1399. श्री मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मैलामाइन क्रॉकरी बनाने वाली फैक्टरियां राज-सहायता प्राप्त यूरिया का प्रयोग कर रही हैं;

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक क्षेत्र में निवेश हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौर क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश हेतु क्या नीतियां तैयार की गई हैं; और

(ङ) विचाराधीन नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का अद्यतन ब्यौर क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (ग) इस वित्त में उर्वरक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश का कोई प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है और आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लब्धित नहीं है। उर्वरक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए गत दो वित्त वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौर इस प्रकार हैं:—

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा फैक्टरी मालिकों और राज-सहायता प्राप्त यूरिया प्रदान करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही/प्रस्तावित है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) मैलामाइन क्रॉकरी के निर्माण के लिए राजसहायता प्राप्त यूरिया के प्रयोग की कोई ऐसी घटना राजस्थान और दिल्ली सरकारों की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।